तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10/1/25	पत्रावली पेश हुई। बहस वसूलाय सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रतिवादीगण की तरफ से कोई जवाब पेश नहीं। प्रतिवादीगणों को पहले सम्मन द्वारा तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 से 06 की ओर से वकील संगतासीह चौहान उपस्थित हुए। तत्पश्चात प्रतिवादी वकील द्वारा No instruction plead करते से प्रतिवादीगणों को नोटिस तारीख पेशी भी जारी हुए। उक्त के बाद भी प्रतिवादीगण की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्रतिवादीगण उक्त पत्रावली में पैरवी नहीं चाहते हैं। वादी वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह स्पष्ट है कि राजस्व जमाबंदी 2074-2075 ग्राम खांगटा के अनुसार खसरा संख्या 1743/मिन व ग्राम खांगटा के राजस्व जमाबंदी संवत 2074-2075 के अनुसार खसरा संख्या 1744, 1745, 1757, 1758 में वादी खातेदार काश्तकार है। प्रत्येक खातेदार काश्तकार के खेत खसरात में अगर कोई अन्य व्यक्ति कब्जा करने का प्रयास या दखलअंदाजी करे तो खातेदार काश्तकार न्यायालय की शरण ले सकता है। धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 ~~के अनुसार उक्त धारा~~ CA के तहत प्रकरण का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि ग्राम खांगटा के खसरा संख्या 1743/मिन, 1744, 1745, 1757, 1758 कुल खसरा 05 रकबा 32 बीघा 2 बिस्वा में वादी खातेदार काश्तकार है। स्वयं प्रतिवादीगण उक्त खसरात में दखलअंदाजी कर रहे हैं। चूंकि प्रतिवादीगण की तरफ से कोई जवाब व साक्ष्य पेश नहीं अतः केवल वादी का वादपत्र व साक्ष्य ही पढ़े जावेंगे। अगर (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ... शहर (जोधपुर)	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	
	एक खातेदार काश्तकार की भूमि में अन्य व्यक्ति, खातेदार को उनके कब्जा काश्त में दखलअंदाजी करे या उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न करे तो उसे स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करना न्यायालय उचित समझता है अन्यथा वादी को अपूरणीय क्षति होगी। अतः वादी का वाद अंतर्गत धारा 188 RTA 1955 स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को इस आशय की निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे ग्राम खांगटा के खसरा संख्या 1743/मिन, 1744, 1745, 1757, 1758 कुल खसरा 05 रकबा 32 बीघा 02 बिस्वा में वादी के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार की दखलअंदाजी नहीं करें, किसी भी प्रकार का कब्जा न करे व न ही किसी से करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर तकमील दाखिल दफ्तर हो।	
	(हस्ताक्षर)	
	सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नवाब शहर (जोधपुर)	